

महिला एवं लैंगिक समानता नीति

प्रस्तावना

पितृसत्तात्मक आधिपत्य के कारण महिलाओं के साथ अनादि काल से भेदभाव होता रहा है. विभिन्न अनिवार्य अंतरराष्ट्रीय अनुबंधों एवं समझौतों के बावजूद यह भेदभाव बना हुआ है. दुनिया भर में, प्रजनन अधिकार, श्रम, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित कानून पहले भी महिलाओं को दबाने के साथ-साथ उन पर अत्याचार और शोषण करने के लिए उपयोग किए जाते थे और आज भी यह परिपाटी बनी हुयी है. अनेक देशों में समान अधिकारों से संबंधित कानूनों के बावजूद वास्तविकता यह है कि पुरुषों को आर्थिक लाभ या उपार्जन अधिक आसानी से प्राप्त करने के अवसर अधिक और सरलता से मिलते हैं. यही नहीं, राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व उनके अनुपात से कहीं अधिक है. संस्कृति से लेकर खेल जैसे क्षेत्रों में भी पुरुषों का हस्तक्षेप महिलाओं के अनुपात में बहुत ज्यादा है. इसे संतुलित करने की आवश्यकता है.

दृष्टि

महिला एवं लैंगिक असमानता को दूर करना उन लोगों पर निर्भर करता है जो इसे राजनीतिक एजेंडे के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं. प्रसंगवश, ग्लोबल वीन्स के चार्टर में सामाजिक न्याय के सिद्धांत की दृष्टि इस प्रकार है:

- सब मनुष्य एक समान
- राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भेदभाव से मुक्ति
- मानव गरिमा का अधिकार
- सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और पारिस्थितिक क्षेत्रों में भाग लेने के लिए समान अवसर और समान योग्यता
- जीवन के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक और आर्थिक पक्षों से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया में समान प्रतिनिधित्व और भागीदारी
- शिक्षा, स्वास्थ्य, यौन पहचान और प्रजनन अधिकार के संबंध में हर व्यक्ति को अपने हिसाब से निर्णय लेने का हो अधिकार

- निर्णयदायी पदों/स्थानों में महिलाओं का समान प्रतिनिधित्व
- समान काम के बदले समान पारिश्रमिक
- महिलाएं घर इत्यादि में जो अवैतनिक श्रम करती हैं उसे पहचान मिले
- प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संस्थागत भेदभाव, उत्पीड़न, भय, हिंसा और दुरुपयोग से मुक्ति
- नीतियों और कानूनों में लैंगिक समानता का समावेश

उद्देश्य

इसलिए, ग्रीन पार्टी निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम करेगी:

- विधि-विधान में समाहित पितृसत्तात्मक व्यवस्था के उत्पीड़न से मुक्ति
- महिलाओं की भागीदारी में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए राजनीतिक प्रक्रियाओं में सुधार की स्थिति बनाना ताकि ऐसे समाज का निर्माण किया जा सके जिसमें महिलाओं के पक्ष को सुना जाए और उनके परिप्रेक्ष्य को समझा जाए
- पुरुषों के समकक्ष महिलाओं की बराबरी हासिल करने के लिए परिवार और समाज में पुरुषों और महिलाओं की पारंपरिक भूमिका में परिवर्तन
- महिलाएं कानूनन पुरुषों के समकक्ष हों और इस योग्यता को अमल में लाने के लिए उन्हें अवसर भी समान प्राप्त हों, यह सुनिश्चित करेगी
- महिलाओं के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और पारिस्थितिक स्तरों पर समानता सुनिश्चित करेगी

कार्य योजना

अस्तु , ग्रीन पार्टी --

भेदभाव के विरुद्ध

- महिलाओं के खिलाफ हर प्रकार का भेदभाव रोकने के लिए उपयुक्त कानूनी और विधायी व्यवस्था और अन्य उपाय करेगी

- महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के किसी भी कृत्य या व्यवहार की अनुमति नहीं देगी और यह भी सुनिश्चित करेगी कि शासकीय तंत्र और संस्थाएं महिलाओं के प्रति उपयुक्त दायित्व के अनुरूप कार्य करें
- महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव पैदा करने और उसे निरंतर बनाये रखने वाली विभिन्न शक्तियों को चुनौती देने के लिए व्यापक ढांचा बनाएगी
- पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता को बढ़ावा देने के लिए समता और न्याय पर आधारित नयी आर्थिक व्यवस्था स्थापित करेगी
- महिलाओं के प्रति नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव और आक्रामकता के सभी रूपों का उन्मूलन करेगी
- मातृत्व के सामाजिक महत्व के अतिरिक्त परिवार की देख-रेख एवं बच्चों के पालन-पोषण में माता-पिता दोनों की भूमिका को बराबरी की पहचान दिलाएगी
- बच्चों के पालन-पोषण का दायित्व पुरुष, महिला और समाज सबका हो और संतानोत्पत्ति में महिलाओं की जो भूमिका होती है उसे आधार बनाकर उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो, यह सुनिश्चित करेगी
- पुरुष-स्त्री समता को संभव बनाने हेतु उन मौजूदा दमनकारी संरचनाओं को ध्वस्त करेगी जिन्हें पारंपरिक भूमिकाओं के रूप में स्थापित किया गया हो

राजनीतिक अधिकार

- सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव मिटाएगी
- महिलाओं को मतदान करने, सार्वजनिक पदों पर आसीन होने और सार्वजनिक कार्यक्रम और गतिविधियां करने की गारंटी देगी
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए महिलाओं को समान अधिकार दिलाएगी
- देश के सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन से संबंधित संगठनों और संघों में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करेगी
- उच्च-स्तरीय पदों पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए काम करने वाली संस्थाओं को समर्थन देगी
- सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में, जहां आवश्यक हो, महिलाओं के लिए कोटा सुनिश्चित करेगी

नीति का विकास

- सरकारी नीतियों के निर्माण और उनके कार्यान्वयन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेगी
- समाज के विभिन्न वर्गों से आने वाली महिलाओं के साथ व्यापक परामर्श के आधार पर लैंगिक समानता की दिशा में कार्ययोजना विकसित करेगी और यह भी सुनिश्चित करेगी कि सरकार की प्राथमिकताओं में ये कार्य-योजनाएं दिखें
- राजनीतिक दलों और संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रतिशत के लक्ष्य निर्धारित करेगी
- सार्वजनिक सेवाओं और वरिष्ठ प्रबंधन भूमिकाओं में रोजगार पाने वाली महिलाओं के लिए आरक्षण प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित करेगी

शिक्षा

- समस्त बालिकाओं और महिलाओं को मुफ्त शिक्षा प्राप्ति का प्रावधान करेगी
- शिक्षा के क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं के खिलाफ भेदभाव समाप्त करेगी
- शिक्षकों के लिए ऐसी प्रशिक्षण और छात्रों के लिए ऐसी पाठ्य-सामग्री का निर्माण करेगी जो लिंगभेद रहित दृष्टिकोण को बढ़ावा दें

स्वास्थ्य

- जीवन के सभी स्तरों पर महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर सटीक जानकारी के प्रावधान सहित समुदाय-आधारित महिला स्वास्थ्य और यौन स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देगी
- निःशुल्क और सुरक्षित गर्भावस्था, मातृत्व, प्रसव और बाल सेवाओं का प्रावधान करेगी तथा महिलाओं को देखभाल के उपलब्ध विकल्पों के बारे में सूचना देगी एवं घर पर ही बच्चे के जन्म और दाई इत्यादि की व्यवस्था करेगी
- जबरन नसबंदी को अवैध घोषित करने के लिए कानून बनाएगी और महिला खतना या महिला जननांग विकृति को निषेध करने वाला कानून बनाएगी

विवाह और पारिवारिक संबंध

- सुनिश्चित करेगी कि महिलाओं को विवाह करने के लिए पुरुषों के समान अधिकार हों और वे अपनी स्वतंत्र और पूर्ण सहमति के साथ विवाह करें तथा वैवाहिक जीवन के दौरान अथवा इसके विघटन के समय पुरुष के समान अधिकार और दायित्व सुनिश्चित करेगी
- माता-पिता के तौर पर -- चाहे औपचारिक विवाह हो या नहीं -- बच्चों के पालन-पोषण को लेकर समान अधिकार और दायित्व सुनिश्चित करेगी तथा हर स्थिति में बच्चों के हित सर्वोपरि रखेगी
- गार्डियनशिप, वार्डशिप, ट्रस्टीशिप और बच्चों को गोद लेने के संबंध में महिलाओं को हर स्थिति में समान अधिकार और दायित्व सुनिश्चित करेगी तथा सभी मामलों में बच्चों के हित सर्वोपरि रखेगी
- पति और पत्नी के रूप में समान अधिकार सुनिश्चित करेगी और यह अधिकार भी देगी कि स्त्री अपने माता-पिता या पति के परिवार के सरनेम में से कोई भी एक सरनेम चुन सके तथा उसे अपनी पसंद का पेशा या व्यवसाय चुनने का अधिकार भी देगी
- राष्ट्रीयता हासिल करने, बदलने या बनाए रखने के लिए स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार देगी

यौन और प्रजनन स्वास्थ्य

- समस्त महिलाओं को निःशुल्क गर्भनिरोधक उपाय उपलब्ध कराएगी
- समस्त महिलाओं को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की सुविधा उपलब्ध कराएगी
- सेक्स शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और परिवार नियोजन सेवाओं के लिए कोष उपलब्ध कराएगी
- स्त्रियों द्वारा गर्भपात कराने के विकल्प को समर्थन देगी, यह भी सुनिश्चित करेगी कि गर्भपात कराना अपराध न हो तथा गर्भपात कराने का अधिकार हासिल करने के लिए कानून बने और गर्भावस्था को समाप्त करने के सभी विकल्प समान रूप से उपलब्ध कराएगी
- गर्भावस्था को जारी रखने की स्वतंत्रता की रक्षा करेगी

हिंसा और महिला सुरक्षा

- महिलाओं को यौन और लिंग आधारित हिंसा से बचाने के लिए कानून मजबूत बनाएगी और हिंसा और उत्पीड़न निरोधक कानूनों के अनुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी
- घरेलू और पारिवारिक हिंसा को कम करने और प्रबंधित करने के लिए विधान बनाएगी

- सुनिश्चित करेगी कि यौन शोषण की पीड़िताओं की आवश्यकताओं के प्रति न्याय प्रणाली संवेदनशील हो
- लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगी तथा विशेषकर ये कार्यक्रम स्कूली बच्चों और कॉलेज छात्रों के लिए आयोजित करेगी
- महिला सशक्तीकरण और लैंगिक संवेदीकरण नीतियों और कार्यक्रमों में सामंजस्य सुनिश्चित करेगी

आजीविका

- आजीविका के क्षेत्र में स्त्रियों के प्रति भेदभाव समाप्त करेगी
- स्त्रियों के लिए समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत सुनिश्चित करेगी
- आजीविका के अधिकार को समस्त मनुष्यजाति के लिए अविच्छेदीय अधिकार के रूप में सुनिश्चित करेगी

यौनकर्म

- स्त्रियों की तस्करी और यौनकर्मियों (अधिकतर स्त्रियां) के शोषण के सभी रूपों को समाप्त करने के लिए कानून सहित सभी उचित उपाय करेगी
- सिविल कानून के तहत यौनकर्म को कानूनी मान्यता दिलाएगी और इसे रेगुलेटेड ढंग से क्रियान्वित करेगी

आदिवासी/जनजातीय महिलाएं

- आदिवासी और जनजातीय महिलाओं के बीच काम करेगी तथा सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक मामलों में उनके नेतृत्व को पहचान और समर्थन देगी, साथ ही आदिवासी और गैर-आदिवासी महिलाओं के बीच वर्तमान सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को कम करने के लिए कार्यक्रम एवं नीतियों को क्रियान्वित करेगी
- सुनिश्चित करेगी कि आदिवासी और जनजातीय महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य शासकीय नीतियों का ध्येय इन महिलाओं की स्थिति बेहतर बनाना हो

ग्रामीण महिलाएं

- ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी
- ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करेगी ताकि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से उनकी भागीदारी और उन्नति सुनिश्चित करेगी

महिला चित्रण

- महिलाओं का सम्मान करने, उनकी अच्छी छवि प्रस्तुत करने और उनका सशक्तिकरण दिखने वाले संदेशों का प्रसार करने की संस्कृति को समर्थन देगी
- फैशन उद्योग सहित विज्ञापन और मीडिया जगत में महिलाओं की सकारात्मक और सम्मानजनक छवि सुनिश्चित करेगी तथा महिलाओं के हर प्रकार का शरीर-षोषण स्वस्थ और सामान्य रूप में चित्रित करेगी
- मीडिया में सेक्सिज्म से निपटने के उपाय करेगी और महिलाओं का नकारात्मक चित्रण बंद करेगी
- विज्ञापनों में महिलाओं की सेक्सी छवि का प्रदर्शन और उनके यौन शोषण को रोकने के लिए शिक्षा कार्यक्रमों को बढ़ावा देगी
- महिलाओं के बारे में सम्मानजनक और सशक्त संदेशों और चित्रों की संस्कृति का समर्थन करेगी
- फैशन उद्योग सहित विज्ञापन और अन्य मीडिया में महिलाओं के सकारात्मक और सम्मानजनक दृष्टिकोण का समर्थन करेगी; महिला शरीर की कोई भी आकृति हो उसे स्वस्थ और सामान्य समझे जाने की प्रवृत्ति विकसित करेगी
- मीडिया में व्याप्त सेक्सिज्म को समाप्त करने की दिशा में काम करेगी और महिलाओं के नकारात्मक चित्रण को मिटाने का काम सक्रिय रूप से करेगी
- विज्ञापन में महिलाओं के यौन शोषण और शोषण से निपटने के लिए शिक्षा कार्यक्रमों को बढ़ावा देगी

महिला और मीडिया

- मीडिया में महिलाओं का सकारात्मक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए नियम-कानूनों की पड़ताल करेगी
- लोकतांत्रिक समाज में पुरुष-महिला समता के महत्व पर ऐसा अभियान विकसित करेगी जो पुरुष-महिला संबंधी नकारात्मक रूढ़ियों को तोड़े